Recommendations of National Commission for women on dowry

577. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have recently received the recommendations from the National Commission for Women about the acceptance of dowry; and

(b) if so, the details thereof and the 'ion taken thereon?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT) (SHRIMATI BASAVA RAJESHWARI): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

आई० सी० डी० एस० परियोजनाओं हेतु मानदण्ड

578. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1992–93 के दौरान सरकार ने कुछ आई०सी०डी०एस० परियोजनाओं को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) विकास खण्डों में आई०सी० डी०एस० परियोजनाएं खोलने के मापदण्ड क्या हैं;

(घ) क्या अत्यन्त पिछड़े विकास खण्डों के विकास हेतु सरकार ने अलग से कोई योजना बनाई है;

(ङ) हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार बड़े विकास खण्डों के विभागीकरण का विचार रखती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया जा सके?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवाराजेश्वरी): (क) वर्ष 1992–93 के दौरान विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कुल 365 समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

(ख) राज्य-वार ब्यौरा विवरण में दर्शाया गया है (नीचे देखिये)।

(ग) से (ङ) 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा गर्भवती और शिशुवती माताओं को सामूहिक सेवाएं प्रदान करके जनसंख्या के इन कमजोर वर्गों का विकास करने के उद्देश्य से आई.सी.डी.एस. योजना तैयार की गई है। इस योजना के अन्तर्गत 31.3.1993 की स्थिति अनुसार 1.86 करोड़ बच्चों और महिलाओं के लाभार्थ 3066 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। गरीबी रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या के प्रतिशत और अनुसूचित जाति की जनसंख्या के बाहुल्य के आधार पर निर्धारित, जिले के पिछड़ेपन के मानदण्ड को आधार मानकर विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में नई आई.सी.डी.एस. परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं।

(च) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।